(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

श्रीमती कलसुम बानू पुत्री स्व0 मो0 हनीफ शेख पत्नी इस्लामुदीन शेख निवासी मालियों की बाड़ी पुरानी धानमण्डी, पंचमुखी रोड, भीलवाड़ा	बनाम	1. ग्राम पंचायत माण्डल जरिये सचिव ग्राम पंचायत माण्डल 2. श्रीमती शकूरन बानू पत्नि स्व0 मो0 हनीफ शेख निवासी झंवरों का मोहल्ला, माण्डल (मृतक के बजाय) 2/1 श्री मो0 इब्राहिम शेख पिता स्व0 मो0 हनीफ शेख निवासी सुभाष नगर, भीलवाड़ा 2/2 मो0 सब्बीर शेख पुत्र स्व0 मो0 हनीफ शेख नि0 काजीपाड़ा तह0 माण्डल 2/3 मो0 युसुफ शेख पुत्र स्व0 मो0 हनीफ शेख नि0 काजीपाडा तह0 माण्डल 2/4 श्रीमती रूकैया बानू शेख पुत्री स्व0 मो0 हनीफ शेख नि0 काजीपाडा तह0 माण्डल
प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण

(मुहर: न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.))

प्रकरण संख्या : 36/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/07/2022	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वय उपस्थित। विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। बाद अवलोकन एव परीक्षण जाहिर आया की प्रार्थिया द्वारा ग्राम पंचायत माण्डल के प्रकरण संख्या 25 नामांतरकरण दिनांक 04.09.2001 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। उक्त आदेश से ग्राम पंचायत माण्डल द्वारा विरासत से नामान्तरकरण खोला गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम पचायत/तहसीलदार द्वारा खोले गये नामांतरकरण की अपील सक्षम न्यायालय में किये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामांतरकरण की अपील संबंधित उपखण्ड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जबकि उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत, माण्डल द्वारा खोले गये नामांतरकरण प्र0सं0 25 दिनांकित 04.09.2001 की अपील सक्षम न्यायालय में नहीं करके न्यायालय हाजा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा खोले गये नामान्तरकरण की अपील का श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार न्यायायल हाजा को नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी/प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है तथा न्यायालय हाजा की मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाकर पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, माण्डल को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर नियमानुसार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकाराना न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के समक्ष दिनांक 04.08.2022 को पेश हो। (आशीष मोदी) जिला कलक्टर भीलवाड़ा जिला कलक्टर	